1	2
3. विनिर्माण	6.5
4. निर्माण	3.7
5. विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	0.2
6. परिवहन एवं संचार	3.0
7. अन्य सेवाएं	12.0
योग	42.6

खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी का भुगतान

760. डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

श्री कैरोन जे. शाह: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक राज्यों में खेतिहर मजदूरों को जो दैनिक मजदूरी दी जा रही है उससे वे निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन बिताने के लिए बाध्य होंगे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यूनतम मजदूरी नियत की गई है, उन्हें वह भी प्राप्त नहीं हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई सरकारी-तंत्र मौजूद नहीं है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इस दिशा में कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (च) राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार दोनों ही अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अनुसूचित नियोजनों के संबंध में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के निर्धारण संशोधन तथा प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं संशोधन में कोई एक समान आधार और मानदण्ड नहीं अपनाए गए हैं। तथापि, 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपने 15वें अधिवेशन में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा संशोधन संबंधी विषय पर सिफारिश किए गए पांच मानकों को अपनाया गया है। ये हैं —एक औसत भारतीय वयस्क के लिए न्यूनतम 2700 कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता है, प्रति परिवार प्रति वर्ष 72 गज कपड़ा आवश्यक है, सरकारी औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्र के लिए तदनुरूप किराया, ईंधन तथा प्रकाश पर व्यय तथा अन्य विविध मदों पर व्यय और एक कमाने वाले पर 3 उपभोग इकाई (सदस्य) की निर्भरता मजदूरी की राज्य-वार न्यूनतम दरों साथ ही अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संकलित कृषि मजदूरी को अकुशल श्रेणी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गयी मजदूरी को दर्शाने वाला विवरण दिया गया है। (नीचे देखिए)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने अलग-अलग तंत्र बनाए हैं। केन्द्रीय सरकार ने कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के प्रभावी प्रवर्तन से संबंधित मुद्दे को अनेक बार उठाया है और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों ने कृषि मजदूरों के निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार का कृषि मजदूरों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने का भी, प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.80 रुपए से 23.40 रुपए प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (6-4-91)
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.0 रुपए से 21.00 रुपए प्रतिदिन (क्षेत्रानुसार) (1-11-90)
3.	असम	978.00 रुपए प्रतिमाह या 828.00 रुपए प्रतिमाह तथा भोजन, आश्रय और वस्त्र (1-2-91)
4.	बिहार	16.50 रुपए प्रतिदिन (16-10-90)
5.	गोवा	22.00 रुपए से 27.50 रुपए प्रतिदिन (5-2-92)
6.	गुजरात	15.00 रुपए प्रतिदिन (1-8-90)
7.	हरियाणा	31.75 रुपए भोजन सहित अथवा 35.75 रुपए बिना भोजन के (1-1-92)
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00 रुपए प्रतिदिन (26-1-90)
9.	जम्मू और कश्मीर	15.00 रुपए प्रतिदिन (24-3-89)
10.	कर्नाटक	12.00 रुपए से 17.65 रुपए प्रतिदिन (12-7-88)
11.	केरल	30.00 रुपए प्रतिदिन से 40.20 रुपए प्रतिदिन (31-3-92)
12.	मध्य प्रदेश	20.27 रुपए प्रतिदिन (1-10-90)
13.	महाराष्ट्र	12.00 रुपए से 20.00 रुपए प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (1-5-88)

1	2	3
14.	मणिपुर	26.70 रुपए प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 23.70 रुपए प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए (1-12-88)
15.	मेघालय	25.00 रुपये प्रतिदिन (1-6-90)
16.	मिजोरम	28.00 रुपए प्रतिदिन (1-11-87)
17.	नागालैण्ड	25.00 रुपए प्रतिदिन (6-7-92)
18.	उड़ीसा	25.00 रुपए प्रतिदिन (1-7-90)
19.	पंजाब	40.23 रुपए भोजन बिना अथवा 36.23 रुपए भोजन सहित (1-3-92)
20.	राजस्थान	22.00 रुपए प्रतिदिन (2-7-90)
21.	सिक्किम	17.00 रुपए प्रतिदिन (1-1-91)
22.	तमिलनाडु	14.00 रुपए प्रतिदिन (3-4-89)
23.	त्रिपुरा	17.80 रुपए प्रतिदिन (1-10-90)
24.	उत्तर प्रदेश	23.00 रुपए प्रतिदिन से 25.00 रुपए प्रतिदिन (7-1-92)
25.	पश्चिमी बंगाल	26.00 रुपए प्रतिदिन 23.75 रुपए जमा दो मुख्य भोजन (1-10-91)
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	27.00 रुपए प्रतिदिन (अण्डमान) 28.00 रुपए प्रतिदिन (निकोबार) (13-8-92)
27.	चंडीगढ़	36.23 रुपए प्रतिदिन भोजन सहित अथवा 40.23 रुपए प्रतिदिन बिना भोजन (1-3-92)
28.	दादरा और नगर हवेली	14.00 रुपये प्रतिदिन (5-10-89)

1	2
29. दिल्ली	41.45 रुपए प्रति (1-2-93)
30. दमण व दीव	18.40 रुपए प्रतिदिन से 22.00 रुपए प्रतिदिन (7-2-91)
31. लक्षद्वीप	18.00 रुपए प्रतिदिन (1-9-88)
32. पांडिचेरी	
(i) पांडिचेरी क्षेत्र	14.00 रुपए प्रतिदिन (15-12-89)
(ii) माहे क्षेत्र	12.00 रुपए प्रतिदिन (12-2-87)
(iii) यनम क्षेत्र	11.09 रुपए प्रतिदिन (15-3-88)
(iv) कराइकल	14.00 रुपए प्रतिदिन, वयस्कों के लिए (31-1-90)

केन्द्रीय सरकार

श्रेणी

क 43.89 रुपए प्रतिदिन

ख 38.89 रुपए प्रतिदिन

ग 36.89 रुपए प्रतिदिन

(1-4-1993)

Problems of Inter-State Migrant Labour

761. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) what problems are being faced by the inter-state migrant labour ;

(b) what steps Government have taken so far to mitigate their hardships ;

(c) whether the National Commission on Rural Labour have considered their problems and made any recommendations in this regard ;

(d) if so, what are the details of the recommendations ; and

(e) what steps Government have taken or propose to take on these recommendations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) and (b) The problems of inter-state migrant workers arise out of tenuous relationship with their employers, low wages and difficult working conditions. In order to mitigate their hardships, the Government have enacted the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment & Conditions of service) Act, 1979 which contains mandatory provisions for payment of minimum wages, housing, medical facilities, protective clothing etc. The implementation of the Act is with the State Governments and the Central Goverment